

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर  
( पीठारसीन अधिकारी श्री गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस. )

मुकदमा संख्या : 24 / 2023

GCMS NO-2022/47

प्रार्थी

वेद प्रकाश पूर्विगा, खाद्य सुरक्षा  
अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं यन्त्र  
स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।

अप्रार्थी

1. श्री रानीदान खत्री पुत्र श्री शंकरलाल खत्री उम्र 40 वर्ष जाति खत्री निवासी आरपी कॉलोनी जैसलमेर (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स माजिसा ट्रेडर्स गांधी कॉलोनी जैसलमेर।
2. श्री विमलसय भाटिया पुत्र श्री ब्रज भाटिया उम्र 50 वर्ष निवासी जिन्दागी चौक जैसलमेर (मालिक) मैसर्स श्रीजी एजेन्सी भाटिया मार्केट जैसलमेर।
3. श्री लवकेश चौपड़ा नाँगिनी अडानी विलमार निवासी श्रीनाथ एगो इन्डस्ट्रीज यूनिट की समस्त वेयर हाउस लॉजिस्टिक पार्क खरसा नं 239/11 सालावास रोड के पीछे जोधपुर
4. अडानी विलमार लिमिटेड फॉरवर्डिंग हाउस नियर नवरंग पुरा रेलवे क्रॉसिंग अहमदाबाद गुजरात

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता कंवराजसिंह उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक: 05.07.2023

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (11) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में शक्ति तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.01.2021 को दोपहर 11.30 एएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स माजिसा ट्रेडर्स गांधी कॉलोनी जैसलमेरका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स माजिसा ट्रेडर्स गांधी कॉलोनी जैसलमेरपर विक्रेता श्री रानीदान खत्री पुत्र श्री शंकरलाल खत्री उम्र 40 वर्ष जाति खत्री निवासी आरपी कॉलोनी जैसलमेर (मीके पर विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मीके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर ब्लेण्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल बुलट लाईट ब्राण्ड रखी मिली जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वारंते विक्रेता को कहा एवं मीके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मीके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात ब्लेण्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल बुलट लाईट ब्राण्ड 500 एमएल की चार बोतल नमूने वारंते तोल कर दिया, जिसके पेटे 260/- रुपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा ब्लेण्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल बुलट लाईट ब्राण्ड को चार भागों में विभक्त कर चार खात्री शिशियों में डाला तथा वारंते परीक्षक फॉर्मलीन की 40-40 बूंद डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मीके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन-1103 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर रिलप एन-1103 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से उपर तक मोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर रिलप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनों पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-1103 ब्लेण्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल बुलट लाईट ब्राण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागों को अपने कब्जे में लिया एवं मीके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मीके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होंने पढकर सुनकर समझकर राहो मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैंने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेसन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को शुगन र्मा के द्वारा दिनांक 25.01.2021 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 22.01.2021 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2021/3046-52 दिनांक 26.02.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक


न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
जैसलमेर

प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./89/Act/2021/187 दिनांक 02.02.2021 अनुसार उक्त नमूना मिसब्रान्ड अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/11424-25 दिनांक 03.09.2022 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1. श्री रानीदान खत्री पुत्र श्री शंकरलाल खत्री उम्र 40 वर्ष जाति खत्री निवासी आरपी कॉलोनी जैसलमेर (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स करीना ड्राई फ्रुट पुराना ग्रामीण बस स्टेण्ड जैसलमेर 2. श्री विमलराय भाटिया पुत्र श्री ब्रज भाटिया उम्र 58 वर्ष निवासी जिन्दानी चौक जैसलमेर (मालिक) मैसर्स श्रीजी एजेन्सी भाटिया मार्केट जैसलमेर 3. श्री लवकेश चौपड़ा नॉमिनी ब्रह्मन् पीछे जोधपुर 4. अडानी विलमार लिमिटेड फॉरच्यून हाउस नियर नवरंग पुरा रेलवे क्रॉसिंग अहमदाबाद गुजरात फर्म द्वारा मिसब्रान्ड विलमार निवासी श्रीनाथ एगो इन्डसट्रीज यूनिट वी रामस्तम्भ वेयर हाउस लॉजिस्टिक पार्क खसरा नं 239/11 सालावास रोड के ब्लेण्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल बुलट लाईट ब्रान्ड का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 01 से 04 तक की ओर से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अभियुक्त का खाद्य पदार्थ मिसब्रान्ड नहीं है। जिस प्रयोगशाला में नमूने की जांच की है वह एलएवीएल प्राधिकृत प्रयोगशाला नहीं है और न ही एफएसएस द्वारा अधिकृत है। प्रार्थी ने जानबूझकर हेराफेरी नहीं की गयी। भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हजेरी हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं L.S./89/Act/2021/187 दिनांक 02.02.2021 अनुसार उक्त नमूना मिसब्रान्ड पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कर भविष्य में ध्यान रखने का संकल्प लिया। जिससे अप्रार्थीगण पर मिसब्रान्ड स्तर के ब्लेण्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल बुलट लाईट ब्रान्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी 1. 1. श्री रानीदान खत्री पुत्र श्री शंकरलाल खत्री उम्र 40 वर्ष जाति खत्री निवासी आरपी कॉलोनी जैसलमेर (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स करीना ड्राई फ्रुट पुराना ग्रामीण बस स्टेण्ड जैसलमेर 2. श्री विमलराय भाटिया पुत्र श्री ब्रज भाटिया उम्र 58 वर्ष निवासी जिन्दानी चौक जैसलमेर (मालिक) मैसर्स श्रीजी एजेन्सी भाटिया मार्केट जैसलमेर 3. श्री लवकेश चौपड़ा नॉमिनी अडानी विलमार निवासी श्रीनाथ एगो इन्डसट्रीज यूनिट वी रामस्तम्भ वेयर हाउस लॉजिस्टिक पार्क खसरा नं 239/11 सालावास रोड के पीछे जोधपुर 4. अडानी विलमार लिमिटेड फॉरच्यून हाउस नियर नवरंग पुरा रेलवे क्रॉसिंग अहमदाबाद गुजरात फर्म के मिसब्रान्ड स्तर का ब्लेण्डेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल बुलट लाईट ब्रान्ड खाद्य पदार्थ के मिसब्रान्ड विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी सं. 01 से 04 पर 5,000/- अक्षर पांच हजार रुपये मात्र की शक्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(गोपाल लाल स्वर्णकार)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
जैसलमेर